कार्यालय पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा एवं अभिसूचना, कमिश्नरेट वाराणसी।

THE OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (S&I) COMMISSIONERATE VARANASI.

प्रेस नोट

दिनांकः22.07.2024 से प्रारम्भ हो रहे श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में अत्यधिक संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा एवं अभिसूचना, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों, मंदिर न्यास एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ परिसर की अचूक सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन-पूजन कराये जाने हेतु पिनाक भवन स्थित सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश निर्गत किये गये हैः–

- श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन-पूजन कराये जाने हेतु मजबूत बैरिकेडिंग एवं जिग-जैग की व्यवस्था।
- श्रद्धालुओं हेतु पर्याप्त पेय जल एवं छाया की व्यवस्था।
- श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को बैग, मोबाइल फोन, मोबाइल एसेसरीज तथा अन्य प्रतिबन्धित सामग्रियों को लेकर दर्शन हेतु न आने की अपील किये जाने।
- श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन पूजा सामग्री यथा माला, फूल, प्रसाद, गंगाजल एवं दूध के अतिरिक्त कोई भी सामग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
- श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन परिसर में कोई भी लाकर सुविधा उपलब्ध नही रहेगी।
- श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु प्रवेश एवं निकास के मार्गो पर पर्याप्त साइनेज बोर्ड की व्यवस्था।
- रविवार की रात्रि 12.00 बजे से अग्रिम आदेश तक मैदागिन से गोदौलिया चौराहे तक नो व्हिकल जोन बनाये जाने।
- श्रद्धालुओं हेतु परिसर में आपात चिकित्सा, खोया-पाया केन्द्र, पुलिस सहायता केन्द्र तथा पर्याप्त संख्या में लाऊडहेलर/लाऊडस्पीकर की व्यवस्था।
- श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन समस्त प्रकार के दैनिक पास निरस्त रहेंगे तथा स्पर्श दर्शन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
- श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन गणमान्य व्यक्तियों के लिए निश्चित समयावधि में प्रोटोकाल दर्शन-पूजन की व्यवस्था रहेगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
सुरक्षा एवं अभिसूचना
कमिश्नरेट वाराणसी